न्यायालयः– विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद्, जिला भिण्ड म०प्र०

(समक्षः पी०सी०आर्य)

1

विशेष डकैती प्रकरण<u>कमांकः 48 / 2015</u> संस्थित दिनांक—25.03.2010 फाईलिंग नंबर—230303004102010

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा– (म०प्र०) आरक्षी केन्द्र मी, जिला–मिण्ड (म०प्र०)

<u>----अभियोजन</u>

वि रू द्ध

- 1. महावीरसिंह भदौरिया पुत्र भारतसिंह भदौरिया उम्र 43 साल निवासी खेरिया हाल गोरमी थाना गोरमी
- कृपालसिंह पुत्र उदयसिंह गुर्जर उम्र 37 साल निवासी स्काण्ड आरौली थाना गोरमी
- 3. जोगेन्द्रसिंह पुत्र उदयसिंह गुर्जर उम्र 28 साल निवासी भूरे का पुरा थाना एण्डोरी
- 4. रिंकू उर्फ रामराज पुत्र शिवसिंह गुर्जर उम्र 26 साल निवासी निरपतसिंह का पुरा थाना रिटौरा जिला मुरैना
- 5. बंटी उर्फ बंटी सिंह पुत्र कल्यानसिंह गुर्जर उम्र 32 साल निवासी सांगोली थाना माता बसैया जिला मुरैना म0प्र0
- 6. कृष्णा उर्फ किशनसिंह उर्फ श्रीकृष्ण पुत्र भारतसिंह गूर्जर उम्र 24 साल निवासी गोहद चौराहा

- अभियुक्तगण

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल विशेष लोक अभियोजक आरोपी महावीर द्वारा श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता आरोपी कृष्णा उर्फ किशनसिंह द्वारा श्री के०के० शुक्ला एड० आरोपी रिंकू उर्फ रामराज, बंटी एवं कृपाल द्वारा श्री जी०एस० गुर्जर अधिवक्ता आरोपी जोगेन्द्र द्वारा श्री मनोज श्रीवास्तव अधिवक्ता

—::— <u>निर्णय</u> —::— (आज दिनांक **01 जून—2016** को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 395 सहपिटत धारा—398 विकल्प में धारा—395 सहपिटत धारा—13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट के अंतर्गत आरोप है कि उन्होंने दिनांक 17.12.09 को शाम सात बजे म०प्र०ड०प्र०क्षे० अधिनियम की धारा—3 के अंतर्गत डकैती प्रभावित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित जिला भिण्ड थाना

मौ क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चम्हेडी में मौ ग्वालियर राजमार्ग पर सूर्यास्त और सूर्योदय की मध्य रात्रि में उसने तथा पांच अन्य सह अपराधीगण महावीर, कृपालिसंह, जोगेन्द्रसिंह, बंटी, कृष्णा उर्फ किशनिसंह ने संयुक्त रूप से सत्यभानिसंह गुर्जर के आधिपत्य से टैक्टर पंजीयन क्रमांक—यू0पी0—84 बी—7993 और मोबाईल फोन नोकिया 1203 योग 2,50,000/— की लूट करते हुए डकैती की और डकैती के उक्त अपराध के अनुक्रम में डकैती में सिमलित वह स्वयं और सह अपराधीगण आग्नेयास्त्र कट्टा से सिज्जित रहे।

- 2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि घटना दिनांक को घटनास्थल मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक—एफ— 91.07.81 बी—21 दिनांक 19.05.1981 की अनुसूची के कॉलम क्रमांक—2 के अनुसार मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के प्रभावशील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत था।
- अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि फरियादी 3. सत्यभानसिंह ने थाना मौ पर इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि वह गोहद चौराहा का रहने वाला है। दिनांक 07.12.09 को वह सेवढा खदान से द्रैक्टरद्रॉली में रेत भरकर गोहद आ रहा था। शाम सात बजे के लगभग झांकरी निकलने के बाद पुलिया के पास चार लोग आये और द्रैक्टरट्रॉली में चढ गये। जिनमें से दो उसके पास सीट पर आकर बैठ गये और उस पर कट्टा अडाकर द्वैक्टर रूकवा लिया और उसे खींचकर पास के खेत में ले गये। तथा दो ने उसके हाथ पैर बांध दिये और कटटा अडाकर रोके रखा तथा जेब में से सौ रूपये व मोबाईल छीन लिया। दो बदमाश द्रैक्टर से ट्रॉली अलग कर वहीं छोडकर द्रैक्टर स्वराज लेकर भाग गये। उसके बाद दो बदमाश उसे वहीं बैठा छोडकर आने की कहकर चले गये। करीब आधा घण्टे तक बदमाशों के न आने पर उसने अपने हाथ पैर खोलकर भयभीत अवस्था में गोहद घर पहुंचकर पूरी बात घरवालों को बताई। घटना सुनकर उसकी माँ की तबियत खराब हो गई फिर वह उनके इलाज में व्यस्त रहा। इसलिये उस समय रिपोर्ट को नहीं आ सका। बदमाशों की हलिया उम्र सभी के 20 से 25 के बीच जिसमें एक बदमाश सामान्य कद काठी का काले रंग का डिगना, दूसरा काले रंग का मध्यम कद, कान में बाली पहने था। शेष बदमाश द्रैक्टर लेकर भाग गये जिन्हें अंधेरा होने से नहीं देख सका। वह अपना द्रैक्टर व मोबाईल सामने आने पर पहचान लेगा।
- 4. उक्त आशय की रिपोर्ट थाना प्रभारी मी को करने पर अप०क०—211/09 पर धारा—394 भा०द०वि० एवं 11/13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा असल अपराध थाना गोहद क्षेत्रान्तर्गत का होने से थाना गोहद असल कायमी की एवं जप्ती गिरफ्तारी, मेमोरेण्डम एवं कथन आदि की संपूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में आरोपीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया।
- 5. अभियोग पत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 395 सहपठित धारा—398 विकल्प में धारा—395 सहपठित धारा—13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत आरोप लगाये जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया। धारा 313 जा0 फौ0 के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्तगण ने झूंटा फंसाये जाने का आधार लिया है। आरोपीगण की ओर से बचाव में भूरासिंह का परीक्षण ब0सा0—1 के रूप में कराया गया है।

3

- क्या आरोपीगण ने दिनांक 17.12.09 को शाम सात बजे अधिसूचित डकैती प्रभावित क्षेत्र ग्राम चम्हेडी थाना मौ में मौ ग्वालियर राजमार्ग पर आरोपीगण लूट डकैती के लिये संयुक्त रूप से एकत्रित थे?
- 2. क्या आरोपीगण ने उक्त सुसंगत घटना दिनांक समय व स्थान पर सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व फरियादी सत्यभानसिंह गुर्जर के आधिपत्य से द्रैक्टर क्रमांक—यू0पी0—84 बी—7993 एवं उसका मोबाईल फोन नौकिया 1203 की डकैती करते हुए संयुक्त रूप से लूट कारित की?
- 3. क्या आरोपीगण उक्त सुसंगत घटना में आग्नेय शस्त्र कट्टा आदि से सुसज्जित भी थे? यदि हॉ तो दण्ड?

<u>-::-निष्कर्ष के आधार</u> :-

विचारणीय प्रश्न कमांक—1 लगायत 3 का निराकरण

- 7. उपरोक्त समस्त विचारणीय प्रश्नों का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिये एवं सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है।
 - अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों में से रामवीर अ०सा0-1, देवेन्द्र अ0सा0—5 प्र0पी0—1 लगायत 8 के दस्तावेजों के पंच साक्षी थे। जिनमें से देवेन्द्र अ०सा०–५ के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में प्र०पी०–1 लगायत ८ की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया गया है। अभियोजन की ओर से उसे पक्ष विरोधी घोषित कर पूछे गये सूचक प्रश्नों में भी कोई सकारात्मक साक्ष्य अभियोजन के पक्ष समर्थन हेतु प्रस्तुत नहीं की गई है। उक्त साक्षी ने प्र0पी0–1 लगायत 8 के दस्तावेजों पर केवल अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं किन्तु इस बात से उसन स्पष्ट तौर पर इन्कार किया है कि उसके सामने आरोपी महावीरसिंह, जोगेन्द्रसिंह को गिरफ्तार किया गया और प्र0पी0–4 व 5 के गिरफ्तारी पत्रक तैयार किये। इस बात से भी इन्कार किया है कि उसके सामने आरोपी महावीर ने पुलिस को लूटे गये स्वराज द्रैक्टर की बरामदगी के संबंध में इस आशय की जानकारी उपलब्ध कराई थी कि उसके गैराज में द्रैक्टर रखा हुआ है जिसका प्र0पी0-6 का मेमोरेण्डम धारा-27 साक्ष्य विधान के तहत बनाया गया। इस बात से भी साक्षी ने इन्कार किया है कि आरोपी जोगेन्द्रसिंह ने द्रैक्टर, मोबाईल को आपस में बांट लेना तथा मोबाईल और द्रैक्टर की बरामदगी कराने की कोई जानकारी दी गई थी। जिसका प्र0पी0–7 का धारा-27 साक्ष्य विधान का मेमोरेण्डम कथन तैयार किया गया था। साक्षी ने इस बात से भी इन्कार किया है कि आरोपी कृपाल ने भी उसके सामने पुलिस को द्रैक्टर व रूपये खर्च करने के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध कराई थी जिसका प्र0पी0—8 का मेमोरेण्डम कथन धारा—27 साक्ष्य विधान के तहत तैयार हुआ। साक्षी ने इस बात से भी इन्कार किया है कि आरोपी महावीरसिंह से प्र0पी0-1 के जप्ती पत्रक मुताबिक स्वराज द्रैक्टर की उसके सामने जप्ती हुई तथा आरोपी कृपाल से नोकिया मोबाईल की प्र0पी0-2 मुताबिक जप्ती हुई। साक्षी ने इस बात से भी इन्कार किया है कि प्र0पी0-1 लगायत 8 की कार्यवाही उसके

- 9. इस साक्षी ने इस बात से भी इन्कार किया है कि वह आरोपीगण को बचाना चाहता है बिल्क पैरा—6 में उसने पुलिस के द्वारा कोरे कागजों पर थाने पर हस्ताक्षर करा लेना कहा है कि उसके सामने न तो किसी को गिरफ्तार किया गया न ही कोई पूछताछ की गई न ही कोई जप्ती हुई। इस तरह से प्र0पी0—1 लगायत 8 के दस्तावेजों के संबंध में अ0सा0—5 के द्वारा लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया गया है और उसके अभिसाक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य भी परिलक्षित नहीं हुआ है कि जिससे उसका आरोपीगण को बचाने के आशय से न्यायालय में असत्य साक्ष्य दिया जाना स्थापित होता हो। इसलिये अ0सा0—5 के अभिसाक्ष्य से अभियोजन के विचाराधीन मामले में विरचित आरोपों के प्रमाण में कोई भी सहायता प्राप्त नहीं होती है।
- 10. दूसरा पंच साक्षी रामवीर अ०सा०–1 फरियादी सत्यभान का सगा भाई है। इसलिये प्र0पी0-1 लगायत 8 की कार्यवाही के संबंध में उसके अभिसाक्ष्य का अत्यंत सावधानीपूर्वक विश्लेषण किये जाने की आवश्यकता हो जाती है। क्योंकि वह हितबद्ध साक्षी की हैसियत रखता है और बचाव पक्ष की ओर से जो उनके विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा मौखिक और आरोपी जोगेन्द्र सिंह की ओरसे लिखित तर्क प्रस्तुत किये गये हैं उनमें भी यही आधार लिये गये हैं कि रामवीर फरियादी सत्यभान का सगा भाई होकर हितबद्ध है और उसकी हैसियत अनुश्रुत साक्षी की है तथा घटना की एफ0आई0आर0 विलंबित है और उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। फरियादी सत्यवीर आरोपी जोगेन्द्र को पहने से जानना बताता है किन्त् रिपोर्ट अज्ञात में है। यदि पहले से जानता होता तो नामजद रिपोर्ट की जाती। कथानक में चार अभियुक्तों को बताया गया है, जबकि छः आरोपी अभियोजित किये गये हैं। इसलिये अ0सा0–1 व 2 की साक्ष्य हितबद्ध एवं विरोधाभाषों के चलते विश्वसनीय नहीं है। स्वतंत्र साक्ष्य से समर्थित नहीं है और विवेचक औपचारिक साक्षी है। तथा विरोधाभाषों के संबंध में उसके द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। साक्षियों के कथनों में आपस में भी गंभीर स्वरूप के विरोधाभाष आये हैं जो कि घटना को संदिग्ध बनाते हैं। जबकि विद्वान विशेष लोक अभियोजक का यह तर्क है कि लूट की घटना क्षणिक होती है और ऐसे में अभियुक्तों की उस समय पहचान करना संभव नहीं होता है। घटना रात्रि के समय की है इसलिये नामजद रिपोर्ट न होने से घटना संदिग्ध नहीं होगी और रामवीर व सत्यभान सगे भाई अवश्य हैं किन्तु रिश्ते के आधार पर उनकी साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं ठहराया जा सकता है। लूट जैसी घटनाओं में स्वतंत्र साक्ष्य की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। स्वतंत्र साक्षियों के अभाव में भी घटना संदिग्ध नहीं हो सकती है इसलिये लूट की घटना प्रमाणित मानी जावे।
- 11. रामवीर अ०सा0–1 व सत्यभान अ०सा0–2 आपस में सगे भाई होकर हितबद्ध साक्षी की हैसियत रखते हैं किन्तु किसी भी साक्षी पर रिश्ते के साक्षी होने के आधार पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है। जैसा कि न्याय दृष्टांत दयाराम विरूद्ध स्टेट ऑफ एम०पी० २००४ भाग–1 एम०पी०एल०जे० पेज–524 एवं स्वर्णसिंह विरूद्ध स्टेट ऑफ पंजाब (1976) 4 एस०सी०सी० पेज–369 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। रामवीर अ०सा0–1 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में आरोपीगण की पहचान करते हुए कथन

दिनांक 14 जुलाई 2015 को यह बताया गया है कि करीब चार पांच साल पूर्व उसके भाई सत्यभानसिंह ने उसे फोन से यह बताया था कि दो लडके उसका रास्ता रोककर कट्टे की नोक पर द्रैक्टर छीनकर ले गये हैं तथा द्रॉली वहीं छोडकर व उसे बांधकर छोड गये हैं। उसके भाई सत्यभानसिंह का फोन भी छीनकर ले जाना भी बताया। द्वैक्टर व फोन छीनने वाले लडकों के नाम रिंकू व जोगेन्द्र हैं। घटना के संबंध में उसने अपने भाई के साथ चौकी झांकरी जाकर घटना की रिपोर्ट करवाई थी। साक्षी का यह भी कहना है कि पुलिस ने उसके भाई सत्यभानसिंह से लूटे गये फोन को द्रैस किया तो जोगेन्द्र के पास लोकेशन पाई गई थी। उसके बाद पुलिस ने जोगेन्द्रसिंह को गिरफ्तार किया था और अनुसंधान में पुलिस जोगेन्द्र को लेकर मुजफ़फरनगर गई थी जहाँ से लूटा गया द्रैक्टर जप्त किया था जिसका पुलिस ने प्र0पी0–1 का जप्ती पत्रक उसके सामने बनाया था । पैरा–5 में उसने द्रैक्टर अपने सामने मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से पुलिस के द्वारा जप्त करना कहा है और यह स्वीकार किया है कि घटना के समय वह अपने भाई सत्यभानसिंह के साथ नहीं था। उसे सत्यभान ने फोन पर घटना बताई थी। वैसे ही वह बता रहा है। यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी जोगेन्द्र की वह समाज के नाते एवं गोहद चौराहा पर रहने के कारण पहले से जानता है। लेकिन इसी कारण जोगेन्द्रसिंह को झूंठा फंसाये जाने से वह इन्कार करता है। इस साक्षी को अभियोजन की ओर से प्र0पी0–3 लगायत 8 के दस्तावेजों के संबंध में पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे गये हैं

प्र0पी0-1 के संबंध में इस तरह से रामवीर अ0सा0-1 के मृताबिक द्रैक्टर जोगेन्द्रसिंह से मुजफ़्फ़रनगर उत्तरप्रदेश से जप्त करके लाया जाना बताया गया है जबिक प्र0पी0–1 के जप्ती पत्रक के मुताबिक स्वराज कंपनी का द्रैक्टर नीले रंग का जिसका रजिस्द्रेशन नंबर—यू०पी0—बी—7993 था उसे आरोपी महावीर से उसके गोरमी स्थित गैराज से जप्त करना बताया गया है जैसा कि जप्तीकर्ता अधिकारी विवेचक उपनिरीक्षक आर०बी०एस० वैस अ०सा०—3 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में पैरा–4 में बताया है। जिससे यह प्रकट होता है कि कथानक मुताबिक जब द्रैक्टर मुजफ़फ़रनगर यू0पी0 से जोगेन्द्र को साथ ले जाकर उसके कब्जे से बरामद नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्र0पी0—1 के संदर्भ में फरियादी सत्यभान के संगे भाई रामवीर अ०सा०-1 का अभिसाक्ष्य अभियोजन के कथानक के विपरीत होकर विश्वसनीय नहीं रह जाता है। अर्थात प्र0पी0–1 के संबंध में अभियोजन का कथानक और साक्षी रामवीर के अभिसाक्ष्य में तात्विक स्वरूप के गंभीर विरोधाभाष हैं जिससे द्रैक्टर की जप्ती की कार्यवाही संदिग्ध हो जाती है। द्रैक्टर की प्र0पी0-1 मुताबिक जप्ती महावीर से गोरमी से होने के संबंध में अभिलेख पर विवेचक आर०बी०एस० वैस अ०सा०–3 के अभिसाक्ष्य का कोई समर्थन नहीं है तथा प्रकरण में गोरमी जाने संबंधी कोई रोजनामचासान्हा भी साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं हुआ है। इसलिये प्र०पी०–1 का जप्ती पत्रक संदिग्ध हो जाता है और विवेचक के अभिसाक्ष्य से भी उसे प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। क्योंकि प्र0पी0–1 के कॉलम नंबर–5 में आरोपी महावीर भदौरिया का पता ग्राम खेरिया हाल गोरमी अंकित है। ऐसा कोई नोट भी जप्ती पत्रक में अंकित नहीं है कि महावीर का निवास ग्राम खेरिया में न होकर गोरमी करबे में हो और गोरमी में कहाँ उसका गैराज है। इसके बारे में भी कोई साक्ष्य नहीं है तथा कोई भी स्थानीय व्यक्ति साक्षी नहीं है। दोनों साक्षी देवेन्द्रसिंह और रामवीर गोहद चौराहा से ले जाये जाना बताये गये हैं। किन्तु देवेन्द्र ने तो पूरी तरह से इन्कार किया है और रामवीर अ0सा0—1 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में गोरमी जाने का कोई समर्थन नहीं किया है बल्कि वह तो मुजफ्फरनगर उत्तरप्रदेश जाने और वहाँ से द्रैक्टर की बरामदगी जोगेन्द्र से होना कहता है। जो कि संदेह उत्पन्न करती है।

- रामवीर अ०सा0–1 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में आरोपी जोगेन्द्र से ही 13. नोकिया कंपनी का मोबाईल जप्त करना बताते हुए उस पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर बताये हैं। किन्तु मोबाईल कहाँ जप्त हुआ था इसके बारे में उसके अभिसाक्ष्य में स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। न ही पक्ष विरोधी घोषित करने के बाद भी अभियोजन की ओर से प्र0पी0-1 व 2 के संबंध में कोई सूचक प्रश्न इस आशय के पुछे गये हैं कि प्र0पी0–1 का जप्ती पत्रक गोरमी में आरोपी महावीर के गैराज पर तैयार किया गया और वहाँ से ही द्रैक्टर जप्त हुआ तथा मोबाईल भी जोगेन्द्र के बजाय कृपाल से उसके ग्राम सुकाण्ड में उसके घर से जप्त हुआ। इसलिये प्र0पी0—2 के संबंध में भी अ0सा0—1 का अभिसाक्ष्य अभियोजन के कथानक से भिन्न है। मोबाईल फोन प्र0पी0–2 के मुताबिक आरोपी कृपाल गुर्जर से उसके पेश करने पर उसके ग्राम सुकाण्ड आरोली से जप्त करना बताया है जिसका मॉडल नंबर— 1203 नोकिया कंपनी का जिसका ई०एम०ई०आई० नंबर—353218035704239 था, को प्र0पी0—2 के संबंध में भी विवेचक आर०बी०एस० वैस के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया गया है कि उसने आरोपी कृपाल के पेश करने पर एक मोबाईल उसके मकान से जप्त कर प्र0पी0—2 का जप्ती पत्रक बनाया था। प्र0पी0—2 के जप्ती पत्रक के अवलोकन से अ0सा0–1 का उसके बाबत कोई समर्थन नहीं है। इसलिये अ0सा0–1 की अभिसाक्ष्य प्र0पी0-1 व 2 के जप्ती पत्रकों के संबंध में पूरी तरह से अभियोजन के प्रतिकल होकर कर्तर्इ विश्वसनीय नहीं था। हालांकि अभियोजन ने प्र0पी0-1 व 2 के संबंध में उक्त साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित नहीं किया गया है। इसीलिये अभियोजन उसके अभिसाक्ष्य से निषेधित है।
- 14. इस तरह से प्र0पी0—1 व 2 के जप्ती पत्रकों के अनुरूप पंच साक्षियों का कोई समर्थन प्राप्त नहीं है और विवेचक के द्वारा प्र0पी0—1 व 2 की कार्यवाही दिनांक 29.12..09 को एक ही दिन में की गई है जबिक दोनों जप्तियों के स्थान भिन्न भिन्न हैं। प्र0पी0—1 की जप्ती शाम करीब 5.15 बजे की और प्र0पी0—2 की जप्ती शाम 6.25 बजे की बताई गई है। दोनों स्थानों में अर्थात् गोरमी एवं सुकाण्ड आरौली के मध्य कितनी दूरी थी, किस साधन से गये, कैसे कार्यवाही की, इस संबंध में आर0बी0एस0 वैस अ0सा0—3 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। रोजनामचासान्हा के पेश न होने से उसकी कार्यवाही संदिग्ध हो जाती है और विवेचक के अभिसाक्ष्य के आधार पर प्र0पी0—1 व 2 को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है बित्क जिस तरह से रामवीर अ0सा0—1 की अभिसाक्ष्य आई है, उससे उसकी हितबद्धता झलकती है।
- 15. रामवीर अ०सा०-1 के द्वारा प्र०पी०-3, 4, 6 व 8 के संबंध में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है और इस बात से उसने पक्ष विरोधी होते हुए स्पष्टतः इन्कार किया है कि उसके सामने आरोपी कृपाल व महावीर को गिरफ्तार किया गया था। महावीर के गोरमी स्थित गैराज से द्रैक्टर को जप्त किया गया था। इस बात से भी उसने इन्कार किया है कि मोबाईल फोन कृपाल से जप्त हुआ तथा इस बात से भी इन्कार किया है कि महावीर का प्र०पी०-6 का

7

मेमोरेण्डम कथन और कृपाल से प्र0पी0—8 का मेमोरेण्डम कथन उसके सामने पुलिस द्वारा लिया गया था। उसने जोगेन्द्र की प्र0पी0—5 के द्वारा गिरफ्तारी तथा जोगेन्द्र का प्र0पी0—7 का मेमोरेण्डम कथन द्वैक्टर व मोबाईल की बरामदगी के संबंध में पुलिस द्वारा लिया जाना पैरा—3 में बताया है किन्तु पैरा—4 में उसके द्वारा सभी कागजातों पर कोरे कागजों के रूप में हस्ताक्षर करना, उसके सामने कोई लिखापढी न होना स्वीकार करते हुए केवल इतना कहा है कि जोगेन्द्र व रिंकू से संबंधित लिखापढी करने की बात पुलिस वालों ने उसे बताई थी जिससे यही आशय निकलता है कि उसके सामने उक्त दस्तावेजों की लिखापढी नहीं हुई। केवल पुलिस द्वारा मोखिक रूप से बताया गया है। जबिक उसके इसतरह के अभिसाक्ष्य का घटना की विवेचना करने वाले उपनिरीक्षक आर0बी0एस0 वैस अ0सा0—3 के द्वारा कोई समर्थन नहीं किया गया है।

- कथानक मुताबिक रामवीर को फरियादी सत्यभान के द्वारा घर जाकर 16. घटना के बारे में बताया गया था जैसा कि प्र0पी0-9 की एफ0आई0आर0 में उल्लेखित है। इस तरह से रामवीर की स्थिति अनुश्रुत साक्षी की हो जाती है। किन्तु रामवीर के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य के पैरा–1 में फरियादी सत्यभान के द्वारा उसे फोन से घटना के विषय में बताया जाना कहा गया है। जबकि ऐसा कथानक में नहीं है और पैरा–1 मृताबिक उसे सत्यभान के द्वारा फोन दो लड़कों के द्वारा रास्ता रोककर कट्टे की नोक पर द्वैक्टर छीनकर ले जाना, द्वॉली वहीं छोड जाना और उसे बांधकर चले जाना बताया गया जबकि कथानक मुताबिक फरियादी सत्यभान जब द्रैक्टरद्रॉली रेता लेकर जा रहा था तो चम्हेडी पुलिया के पास चार लोगों ने पीछे से उसके द्रैक्टर पर चढकर घटना कारित की जिसमें कट्टा अडाकर द्रैक्टर को छुडा लिया और पास के खेत में उसे ले गये। तथा उसके हाथ पैर बांध दिये। उसकी जेब में रखे सौ रूपये और मोबाईल को भी छुडा लिया। कथानक में इस तरह का घटनाक्रम नहीं बताया गया है कि फरियादी सत्यभान को पेड से बांधे जाने के बाद बदमाशों के चले जाने के बाद सत्यभान को कोई राहगीर आते हुए दिखा जिसे उसने अपने पास बुलाया हो और फिर उसी राहगीर के मोबाईल से घटना के बारे में घर वालों को जानकारी दी हो और फिर अपने हाथ पैर छुडाकर घर जाकर घटना सुनाई हो जबकि ऐसा फरियादी सत्यभान अ०सा०–२ के द्वारा पैरा–२ में बताया गया है जो कि कथानक की विषयवस्तु न होकर एक तरह से घटना का विकास करना परिलक्षित होता है जिससे रामवीर अ0सा0–1 की अभिसाक्ष्य को किसी भी बिन्दू पर विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है।
- 17. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि रामवीर अ०सा0—1 और फरियादी सत्यभान अ०सा0—2 के मुताबिक आरोपी जोगेन्द्र को वे पहले से जानते थे क्योंकि वह फरियादी के समाज का है और गोहद चौराइ पर रहता है जहाँ अ०सा0—1 व 2 का निवासरत रहना भी बताया गया है। आरोपी जोगेन्द्र की ओर से किये गये लिखित व मौखिक तर्कों में उठाया गया यह बिन्दु महत्वपूर्ण है कि यदि जोगेन्द्र बताई गई कथित घटना में शामिल होता तो उसे अ०सा0—1 व 2 के मुताबिक पहले से जानते हुए घटना की रिपोर्ट करते समय जोगेन्द्र का नाम पुलिस को अवश्य बताया जाता। जबकि प्र०पी०—9 की एफ०आई०आर० चार अज्ञात लोगों के विरुद्ध ही की गई है। ऐसे में जोगेन्द्र के संबंध में अ०सा0—1 व 2 का अभिसाक्ष्य किसी द्वेष भाव के चलत कथानक से परे दिया जाना परिलक्षित होता है और इस

बिन्दु पर बचाव साक्षी भूरासिंह ब0सा0—1 का यह अभिसाक्ष्य कि सत्यभान और रामवीर बिरखडी डांग के पत्थर के पहाड पर पत्थर लेने के लिये ट्रॉली ले जाते थे। जोगेन्द्र भी वहीं अपने ट्रैक्टरट्रॉली से पत्थर लेने के लिये जाता था। उनके बीच ट्रैक्टर के टकराये जाने पर एक बार विवाद होकर गाली—गलीच भी हो गई थी। इसी कारण से जोगेन्द्र से फरियादी सत्यभान व रामवीर रंजिश रखते हैं जो अवैध वसूली भी करते थे। इस पर जोगेन्द्र ने रोका था और इसी के उपर से उनका विवाद हुआ था।

- उपरोक्त बचाव साक्षी के द्वारा जो घटना बताई गई है उसके संबंध में 18. कोई भी रिपोर्ट पुलिस में होना या प्रशासकीय अधिकारियों को कोई शिकायत होने से उसने इन्कार किया है तथा बचाव साक्षी ग्राम सुनारी का पूरा थाना एण्डोरी का निवासी है और कृषक है। वह स्वयं डांग पहाड पर पत्थर लेने जाता हो, ऐसा उसने नहीं बताया है इसलिये बचाव साक्षी की बात पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता है किन्त् जैसा कि सुस्थापित सिद्धान्त है कि जहाँ बचाव साक्ष्य पेश की जाती है वहाँ प्रमाण भार अभियोजन के बजाय बचाव पक्ष पर नहीं आता है और अभियोजन पर ही अपने मामले को प्रमाणित करने का भार रहता है। जैसा कि न्याय दृष्टांत जनरैलसिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ पंजाब ए **०आई०आर० 1996 एस०सी० पेज 755** में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। इस मामले में भी अभियोजन पर ही अपने मामले को प्रमाणित करने का भार है और बचाव साक्षी को अवश्य विश्वसनीय नहीं माना गया है किन्तु अ०सा०–1 व अ०सा०–२ की यह स्वीकारोक्ति कि जोगेन्द्र को वह पहले से जानते थे और उसके विरूद्ध नामजद रिपोर्ट नहीं है। तथा घटना की रिपोर्ट भी पांच दिन विलंब की है। क्योंकि कथानक मृताबिक घटना दिनांक 17.12.09 के शाम सात बजे की बताई गई है और रिपोर्ट दिनांक 24.12.09 को सुबह 10.15 बजे की गई अर्थात् पांच दिन का रिपोर्ट में विलंब है। किन्तु विलंब के बिन्दु पर भी अभियोजन की साक्ष्य सुदृढ नहीं है।
- रामवीर अ०सा0–1 जो कि रिपोर्ट के लिये अपने भाई सत्यभान के साथ 19. जाना बताया गया है। जबिक प्र0पी0–9 की एफ0आई0आर0 में रामवीर का रिपोर्ट के लिये साथ जाने का उल्लेख नहीं है और रामवीर ने यह भी नहीं बताया है कि रिपोर्ट को कब गये थे। फरियादी व रिपोर्टकर्ता सत्यभानसिंह अ०सा०–2 के मुताबिक घटना की रिपोर्ट उसने घटना के अगले दिन चौकी झांकरी पर जाकर स्वयं करना बताई है। जैसा कि वह पैरा–3 में कहता है और पैरा–2 में उसके द्वारा यह कहा गया है कि घटना को सुनकर उसकी माताजी की तबियत खराब हो गई थी और उसके घरवालों ने फोन पर उसे घर आने की बात कही थी इसलिये वह मौके से घर गया था और दूसरे दिन रिपोर्ट को गया था। पैरा–5 में मां की तबियत खराब होने से इलाज में व्यस्त रहना रिपोर्ट में विलंब का कारण बताया है। किन्तु पैरा–9 में उसने यह कहा है कि उसकी माताजी को कोई बीमारी नहीं थी केवल वह घटना सुनकर घबरा गई थी जिसका उसने इलाज कराया था। लेकिन इलाज के पर्चे उसके पास नहीं हैं। फरियादी सत्यभान के अभिसाक्ष्य में बताई गई उक्त बात विलंब के बिन्दू पर स्वीकार कर भी ली जावे तो उसके द्वारा एक ही दिन के विलंब का स्पष्टीकरण दिया गया है जबकि रिपोर्ट पांच दिन विलंब की है और पांच दिन विलंब का कोई स्पष्टीकरण अभिलेख पर नहीं है। फरियादी का ऐसा भी कहना नहीं रहा है कि वह अपनी मॉ

के इलाज में चार पांच दिन तक व्यस्त रहा हो। इस कारण से रिपोर्ट को नहीं गया हो और वह जोगेन्द्र को पहले से ही जानता था उसका नाम भी रिपोर्ट में क्यों नहीं लिखाया, इसका कोई स्पष्टीकरण उसके द्वारा नहीं दिया गया है। ऐसे में घटना की रिपोर्ट भी विलंबित है और विलंबित एफ0आई0आर0 होने से भी अभियोजन की घटना संदिग्ध हो जाती है।

- फरियादी सत्यभानसिंह अ०सा०-2 के मुताबिक घटना में कुल चार लोगों का शामिल होना बताया गया है जबकि किये गये अनुसंधान पश्चात पुलिस द्वारा छः आरोपियों को अभियोजित किया गया है। जिसके संबंध में घटना के विवेचक उपनिरीक्षक आर0बी0एस0 वैस अ0सा0–3 के द्वारा यह बताया गया है कि उसने आरोपी बंटी, कुपाल और जोगेन्द्र को अन्य अभियुक्तों के पूर्व में गिरफतार होने पर उनके द्वारा धारा–27 साक्ष्य विधान के तहत दिये गये मेमोरेण्डम कथनों में नाम बताये जाने पर एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफतार किया गया था। पैरा—11 में उसने यह स्वीकार किया है कि फरियादी सत्यभान एवं साक्षी इन्द्रपाल के द्वारा कथन देते समय उसे आरोपीगण के नाम नहीं बताये गये थे वह हिलेया बताना अवश्य कहता है। जबिक सत्यभान के मृताबिक झांकरी से दो किलोमीटर आगे जब वह अपने द्रैक्टर क्रमांक—यू0पी0—84 बी—7993 मय ट्रॉली सेवढा से रेत खदान से रेता भरकर गोहद चौराहा तरफ अपने मकान पर ला रहा था तब चम्हेडी पुलिया पर दो लोग उसके द्रैक्टर पर चढ़ गये और कट्टा लगा दिया था व द्रैक्टर बंद कर दिया और उसको पकडकर सरसों के खेत में ले गये। वहाँ पर उसके हाथ पैर बांधकर डाल दिये थे तथा आरोपी जोगेन्द्र उसके द्रैक्टर को ले गया था और द्रॉली घटनास्थल पर ही छोड गया था। कुल चार आरोपी थे जिनमें से दो उसके पास खड़े रहे थे। वे उसका मोबाईल व सौ रूपये छीन ले गये थे। जोगेन्द्र के साथ दूसरा आरोपी भी उसने होना बताया है।
- इस तरह से कुल चार आरोपीगण ही प्र0पी0-9 की एफ0आई0आर0 21. मुताबिक एवं फरियादी सत्यभान के मुताबिक थे। ऐसे में छः लोगों का अभियोजित किया जाना भी घटना को संदिग्ध बनाता है और सह अभियुक्त के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर किसी को अभियोजित नहीं किया जा सकता है। आरोपी बंटी से कोई भी बरामदगी नहीं हुई है इसलिये भी उसे अभियोजित किये जाने का आधार नहीं बनता है। न्याय दृष्टांत पप्पू विरुद्ध स्टेट 2000(2) जे0एल0जे0पेज-391 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि एक अभियुक्त की सूचना पर किसी तथ्य का पता लगने पर उसके विरूद्ध उसका उपयोग किया जा सकता है। उस सूचना का उपयोग दूसरे अभियुक्त के विरूद्ध नहीं किया जा सकता है। तथा न्याय दृष्टांत **लक्ष्मीनारायण** विरुद्ध स्टेट ऑफ एम0पी० 2009 माग-1 एम0पी०एच0टी० पेज-478 में यह मार्गदर्शित किया गया है कि यदि एक व्यक्ति की सूचना के मेमोरेण्डम में किसी अन्य व्यक्ति के नाम का उल्लेख भी आया हो तो उसे दूसरे व्यक्ति को उसके आधार पर दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। जब तक कि उसके विरुद्ध अन्य विश्वसनीय साक्ष्य न हो। हस्तगत मामले में स्वयं फरियादी सत्यभानसिंह अ०सा0—2 अपने अभिसाक्ष्य में केवल आरोपी जोगेन्द्र एवं रिंकू की शिनाख्त सही करने का अभिसाक्ष्य देता है। अन्य आरोपी बंटी, महावीर, कृपाल की शिनाख्ती करने से वह स्पष्ट तौर पर पैरा-4 में इन्कार करता है। ऐसे में जबकि बंटी, रिंकू और जोगेन्द्र जिनसे कि कोई बरामदगी नहीं हुई है, उन्हें अभियोजित किया जाना

संदेहजनक हो जाता है।

22. फरियादी सत्यभान अ०सा०-2 के द्वारा जिस स्थान की घटना बताई गई है जिसका वह अपनी निशादेही पर पुलिस द्वारा प्र०पी०-10 का नक्शामौका तैयार किया जाना कहता है और घटना के विवेचक आर०बी०एस० वैस अ०सा०-3 ने भी फरियादी की निशादेही पर सर्वप्रथम घटनास्थल का नक्शामौका तैयार करना बताया है। नक्शामौका के संबंध में कोई अन्यथा साक्ष्य नहीं है। नक्शामौका प्र०पी०-10 के अनुसार वह मौ ग्वालियर मौ रोड बताया गया है जो थाना मौ के क्षेत्रान्तर्गत आता है और बताई गई चम्हेडी की पुलिया इस तरह से डकैती प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आना उपधारित होगा क्योंकि राजस्व जिला भिण्ड में घटना दिनांक को मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-91.07.81 बी-21 दिनांक 19.05.1981 की अनुसूची के कॉलम क्रमांक-2 प्रभावशील था। किन्तु कथानक मुताबिक बताई गई घटना के संबंध में स्वयं फरियादी सत्यभान सिंह अ०सा०-2 का अभिसाक्ष्य कथानक से भिन्न होकर तात्विक विरोधाभाषों और विषंगितयों से परिपूर्ण होने से विश्वसनीय नहीं है।

10

- 23. र सत्यभानसिंह अ०सा०–२ को भी अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी बंटी, कृपाल और महावीर की शिनाख्ती के बिन्दू पर घोषित किया गया था जिस पर पूछे गये सचक प्रश्नों में भी उसने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। और वह इस बात से अवश्य इन्कार करता है कि जोगेन्द्र के अलावा अन्य आरोपीगण से उसका किसी प्रकार से कोई राजीनामा हुआ है जिसकी वजह से वह अन्य अभियुक्तों का घटना में शामिल होने से इन्कार कर रहा है। कथानक मुताबिक वह सेवढा रेत खदान से रेता भरकर ला रहा था किन्तु अनुसंधान के दौरान रेत से संबंधित कोई रॉयल्टी की रसीद या अन्य विधिक दस्तावेज संकलित ही नहीं किया गया है जिससे रेत खदान से रेता भरकर लाने की पृष्टि हो। न ही विवेचना के दौरान फरियादी की रेत भरी हुई द्वॉली जैसा कि कथानक मुताबिक और स्वयं सत्यभान अ०सा०–२ के मुताबिक मौके पर ही लूट करने वाले निकलकर रह गये थे, उसे प्रमाणित किया है। जो कि रेत लाने की पृष्टि करते। ऐसे में घटनाक्रम की प्रारंभिक स्थिति के बारे में भी संदेह उत्पन्न हो जाता है। आरोपी रिंकू व जोगेन्द्र की फरियादी पहचान करना बताता है जिनसे कोई भी वस्त् बरादम नहीं हुई है। महावीर से द्रैक्टर और कृपाल से मोबाईल बरामद होना बताया गया है जिनकी शिनाख्ती फरियादी नहीं करता है। यह भी अभियोजन के मामले को दुर्बल बनाता है। ऐसे में प्र0पी0-14 लगायत 17 की जो कार्यवाही विवेचक अ0सा0–3 के द्वारा करना बताई गई है जिनके पंच साक्षी विवेचक के ही अधीनस्थ पुलिस कर्मचारी हैं जो कि उसने प्रतिपरीक्षा में स्वीकार भी किया है। उन दस्तावेजों की कार्यवाही से संबंधित भी कोई रोजनामचासान्हा साक्ष्य की विषयवस्तु नहीं बनाया गया है। इसलिये उन्हें भी विवेचक की अभिसाक्ष्य के आधार पर प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।
- 24. जहाँ तक आरोपी जोगेन्द्र और रिंकू की शिनाख्ती का प्रश्न है, जैसा कि फिरयादी सत्यभान अ0सा0—2 उनकी सही शिनाख्ती करना पैरा—3 में बताता है और पैरा—8 में उसके मुताबिक घटना के समय दिसंबर का महीना होने से अत्यंत उण्ड थी और घोर अंधेरा था। ट्रैक्टर पर वह अकेला ही था ऐसे में उसका प्र0पी0—9 की रिपोर्ट में दो लोगों को देख पाना और दो लोगों को अंधेरे के कारण नहीं देख पाना जो बताया गया है, जिन दो लोगों को देखा उनमें से वह

जोगेन्द्र को पहल से जानना भी स्वीकार करता है। ऐसे में यदि जोगेन्द्र घटना में शामिल होता तो उसको वह अनुसंधान के दौरान भी पुलिस को बताता। जबकि अनुसंधान के दौरान पुलिस को दिये गये कथन में भी किसी आरोपी का नाम नहीं बताया गया है जबिक विवेचक आर्0बी०एस० वैस अ०सा0–3 ने यह स्वीकार किया है तथा पहचान के संदर्भ में सत्यभान अ०सा०–2 के पैरा–9 में यह बात भी आई है कि चम्हेडी पुलिया के पास चार लोग आये थे जो पीछे से ट्रॉली पर चढ गये थे। उनमें से दो को उसने पहचान लिया था लेकिन उनके नाम पुलिस को रिपोर्ट में नहीं लिखवाये थे। क्योंकि उस समय वह उनके नाम नहीं जानता था और न्यायालय में साक्ष्य देने के समय मुख्य परीक्षण में पूछे जाने पर उसे उनके नाम पता चले थे। इससे भी उसका जोगेन्द्र के संबंध में दिया गया अभिसाक्ष्य संदिग्ध हो जाता है क्योंकि जोगेन्द्र को वह पहले से जानता था इसलिये उसका नाम तो उसे पहले से पता है। मुख्य परीक्षण में नामों का पता चलने से यही परिलक्षित होता है कि यदि फरियादी सत्यभान के साथ कोई लूट की घटना घटित हुई है तो उसमें जो लोग शामिल थे, वह सभी अज्ञात थे। उनमें से किसी को वह पहले से नहीं जानता था। ऐसे में जोगेन्द्र के विरूद्ध उसका अभिसाक्ष्य कर्ताई भरोसेयोग्य नहीं रह जाता है। और अन्य के संबंध में तो वह स्वयं ही कथानक का समर्थन नहीं कर रहा है। ऐसे में मोबाईल की पहचान करने के संबंध में फरियादी का दिया गया अभिसाक्ष्य और उसके समर्थन में मोबाईल की पहचान कराने वाले ग्राम पंचायत झांकरी के सरपंच हरनारायण सिंह अ०सा०–४ के अभिसाक्ष्य को स्वीकार कर लिये जाने के बावजुद प्र0पी0–11 मुताबिक मोबाईल की शिनाख्ती प्रमाणित मानी जाने से भी आरोपीगण के विरूद्ध विचाराधीन किसी भी आरोप को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। अ०सा०–४ ने शिनाख्ती की जिस प्रकार की कार्यवाही की है उससे मोबाईल शिनाख्ती की कार्यवाही नियम व एवं प्रक्रिया का अनुपालन अवश्य किया जाना पाया जाता है किन्तु अ०सा०–४ के अभिसाक्ष्य से घटना प्रमाणित नहीं मानी जा सकती है। क्योंकि मोबाईल की जप्ती कृपाल से होने की पुष्टि नहीं होती है। जैसा कि कथानक का आधार है।

25. तत्कालीन तहसीलदार अशोक सैन अ०सा०–६ के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 14.03.10 को तहसील भिण्ड की हैसियत से पदस्थ रहते हुए थाना मौ के अप०क0-211/09 के आरोप रिंकू उर्फ रामराज, महावीरसिंह, जोगेन्द्रसिंह की शिनाख्ती की कार्यवाही उपजेल भिण्ड में उसके द्वारा समान कद काठी के पन्द्रह अन्य व्यक्तियों को शामिल करते हुए किया जाना बताई गई है जिसमें शिनाख्तीकर्ता फरियादी सत्यभान के द्वारा रिंकू, महावीर, और जोगेन्द्र तीनों को ही सिर पर हाथ रखकर सही पहचाना गया था जिसका उसने प्र0पी0–12 का शिनाख्ती पंचनामा तैयार करना बताया है। किन्तु प्र0पी0–12 की उक्त कार्यवाही के संबंध में केवल रिंकू और जोगेन्द्र की पहचान जेल में करना सत्यभानअ०सा०–2 अवश्य बताता है। महावीर की पहचान करने से वह इन्कार करता है और रिंकू व जोगेन्द से कोई बरामदगी नहीं हुई है तथा उनका धारा–27 साक्ष्य विधान का मेमोरेण्डम कथन क्रमशः प्र0पी0–7 एवं 15 प्रमाणित नहीं हुए हैं। महावीर से संबंधित मेमोरेण्डम कथन प्र0पी0-6 और जप्ती प्र0पी0-1 की भी प्रमाणित नहीं हुई है। इसके अलावा उक्त तहसीलदार के द्वारा बंटी और कृपाल की भी उपजेल भिण्ड में ही फरियादी से बारह अन्य समान कद काठी के

- जहाँ तक प्र0पी0—12 का संबंध है उसके संबंध में भी विरोधाभाषी साक्ष्य है और उसे भी अ0सा0—2 व 6 के अभिसाक्ष्य से प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। हालांकि शिनाख्ती कराने वाले तहसीलदार अशोक सैन अ0सा0–6 ने पैरा–3 में सभी आरोपियों की एक ही दिन शिनाख्ती की कार्यवाही होने पर अलग–अलग शिनाख्ती पंचनामा तैयार किये जाने के संबंध में यह स्पष्टीकरण दिया है कि शिनाख्ती पंचनामा जिन कागजों पर बनाये गये थे वे छोटे होने के कारण दो शिनाख्ती पत्रक तैयार किये गये थे और दोनों की शिनाख्ती की कार्यवाही में पन्द्रह मिनट का अंतर रहा है। यदि यह स्वीकार भी कर लिया जावे कि जोगेन्द्रसिंह और रिंकू की पहचान फरियादी ने की थी तब भी उससे विरचित कोई भी आरोप इसलिये प्रमाणित नहीं हो सकता है कि जोगेन्द्र से द्रैक्टर की जप्ती हुई है जिसका कोई समर्थन नहीं कर रहा है और रिंकू से तो कोई बरामदगी भी नहीं हुई है उसकी संलिप्तता के संबंध में भी किसी भी साक्षी के अभिसाक्ष्य में संतोषप्रद साक्ष्य नहीं आई है। ऐसी स्थिति में अ०सा०–2 किसी भी बिन्दू पर किसी भी आरोपी के संबंध में विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है और विवेचक अ0सा0–3 के अभिसाक्ष्य के आधार पर कोई भी आरोप विधिक दृष्टि से युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित नहीं होता है। ऐसे में बचाव पक्ष का मामला संदिग्ध होने का सार रूप में किया गया तर्क स्वीकार योग्य हो जाता है।
- 27. इस तरह से उपरोक्त समस्त साक्ष्य, तथ्य परिस्थितियों के विश्लेषण के आधार पर अभियोजन आरोपीगण के विरूद्ध अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है और यह कतई प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपीगण ने ही दिनांक 17.12.09 को शाम करीब 7.00 बजे डकैती प्रभावित अधिसूचित क्षेत्र थाना मौ के अंतर्गत ग्राम चम्हेडी मौ खालियर राजमार्ग पर सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व संयुक्त रूप से फरियादी सत्यभानिसंह गुर्जर के आधिपत्य का द्रैक्टर कमांक—यू0पी0—84बी—7993 एवं उसका नोकिया मोबाईल फोन कमांक—1203 जिनकी कुल कीमत 2,50,000/—रूपये थी, उनकी लूट करते हुए पांच से अधिक संख्या में सम्मिलित रहते हुए डकैती कारित की और उसमें आग्नेय शस्त्र कट्टे से सुसज्जित रहते हुए उक्त घटना को अंजाम दिया। परिणामस्वरूप आरोपीगण को भा0द0वि0 की धारा—395 सहपठित धारा—398, विकल्प में धारा—395 सहपठित धारा—13 एम0पी0डी०व्ही०पी०के० एक्ट 1981 के आरोपों से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।
- 28. आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 29. प्रकरण में जप्तशुदा द्रैक्टर कमांक-यू०पी०-84बी-7993 एवं मोबाईल पूर्व से फरियादी सत्यभानसिंह गुर्जर की सुपुर्दगी में है अतः अपील अवधि उपरान्त सुपुर्दगीनामा निरस्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण किया जावे।

- 30. आरोपीगण का धारा-428 दप्रसं का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।
- 31. निर्णय की एक प्रति डी०एम० भिण्ड की ओर भेजी जावे।

दिनांक:

01.06.2016

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य) विशेष न्यायाधीश डकैती, गोहद जिला भिण्ड (पी.सी. आर्य) विशेष न्यायाधीश डकैती, गोहद जिला भिण्ड

ALIMAN PRESENTATION STATES AND ST